

विषय: एफ.पी.ओ. के रिटेलर्स हेतु प्रस्ताव भेजने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत करवाना है कि इफको उत्पादों की बिक्री बढ़ाने हेतु एफ.पी.ओ. के रिटेलर्स बिक्री केन्द्रों के प्रस्ताव राज्य कार्यालय को भेजते हुए निम्न बातों का ध्यान देते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजें।

1. निष्क्रिय या कमजोर समितियों के क्षेत्र में ही एफ.पी.ओ. के रिटेलर्स बनाये जाये। इफको किसान सेवा केन्द्र/ पैक्स के बिक्री केन्द्र कम से कम 3 कि.मी. की दूरी पर होने चाहिए।
2. इफको द्वारा उत्पादित व बिक्री जा रहे सभी उत्पादों की बिक्री दिये गये लक्ष्यों के अनुसार करनी होगी। जो निम्न विवरणानुसार हैं।

क्र.सं.	उत्पाद	बिक्री लक्ष्य
1	नैनो यूरिया तरल	2000 बोतल
2	जैव उर्वरक	250 लीटर
3	सागरिका दानेदार	50 मी. टन
4	सागरिका तरल	500 लीटर
5	जल विलय उर्वरक	25 मी. टन
6	कृषि रसायन	5.00 लाख
7	यूरिया	200 मी. टन
8	डीएपी	100 मी. टन
9	एनपीके	50 मी.टन

3. इफको के सभी उर्वरक एवं अन्य उत्पाद निर्धारित दरों पर बिक्री किये जायेंगे। बिक्री किये गये प्रत्येक उत्पाद की कैश मीमो जारी की जायेगी।
4. समस्त भुगतान RIGS के माध्यम से इफको के खाते में किया जायेगा। भुगतान प्राप्त होने पर ही रिलीज आदेश एफ.पी.ओ. के पक्ष में जारी किया जायेगा।
5. एफ.पी.ओ. अपने गोदाम या बिक्री केन्द्र के स्टॉक का पूर्ण विवरण व रिकार्ड इफको को उपलब्ध करवायेगा।
6. इफको के सभी उत्पादों का भण्डारण वैज्ञानिक ढंग से किया जायेगा व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
7. उर्वरक स्टॉक की POS में तुरन्त Entry करवाना एवं POS में साथ साथ बिक्री करवाना सुनिश्चित करेंगे।
8. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी उत्पादों का उपयोग केवल कृषि हेतु ही किया जायेगा।
9. बिक्री किये जा रहे उत्पादों के प्रयोग की पूर्ण जानकारी किसानों को उपलब्ध करानी होगी।
10. प्रत्येक क्षेत्र अधिकारी का दायित्व होगा कि इनकी बिक्री पर कड़ी नजर रखेंगे।
11. एफ.पी.ओ. FCO द्वारा निर्धारित मापदंडों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
12. एफ.पी.ओ. के पास पर्याप्त भण्डारण की क्षमता का होना सुनिश्चित करेंगे, ताकि ऑफ सीजन में भी पार्टी को इफको उत्पादों की बिक्री की जा सके।